थाना कोतवाली कांट जनपद – शाहजहाँपुर (उ0प्र0)

निकट-बस स्टेण्ड कांट पिन कोड-242223 मो0न0 9454404208, **EMail:-**

thana.kant9454404208@gmail.com

प्रेस नोट

दिनांक-24.11.2023

“थाना कांट पुलिस द्वारा आठ घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा करत हुए मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार’’

दिनांक 23.11.2023 को थाना कांट के ग्राम मुडिगवां के राजेश कुमार द्विवेदी पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुडिगवां थाना काँट जिला शाहजहाँपुर को उनके सगे भाई गुड्डु पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुडिगवां थाना काँट जिला शाहजहाँपुर के द्वारा मृतक राजेश उपरोक्त को मार कर बाबूराम पुत्र पुत्तुलाल निवासी ग्राम मुतिहासा थाना काँट जिला शाहजहाँपुर के खेत मे मिट्टी से छिपा देने के संबंध में मृतक की बहन श्रीमती रशमी पत्नी राजेश कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम मुतिहासा थाना काँट जिला शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर पर थाना काँट पर मु0अ0स0 648/2023 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात में पंजीकृत कराया गया था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा उक्त सनसनीखेज घटना के त्वरित एवं सही अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री

अशोक कुमार मीणा के सतत मार्गदर्शन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री सुधीर जायसवाल के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय श्री अमित चौरसिया के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कांट श्री दयाशंकर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा हत्या के अपराध का खुलासा आठ घण्टे के भीतर खुलासा करते हुए । प्रकाश मे आयें अभियुक्त गुड्डु उपरोक्त को दिनांक 24.11.2023 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी के आधार पर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 648/2023 धारा 302/201 भादवि बनाम गुड्डु पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुडिगवां थाना काँट जिला शाहजहाँपुर ।

पूछताछ आख्या –

मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त गुड्डु पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुडिगवां थाना काँट जनपद शाहजहांपुर ने पूछने पर बताया कि साहब मैं अपने बडे भाई राजेश पुत्र रामकुमार जो एक पैर से विकलांग थे , उनकी शादी नही हुई थी। वह यहां वहां जिसके घर खाना मिलता था , वहाँ खाना खा लेते थे तथा घर पर बने छप्पर मे सो जाते थे। उनके नाम कुछ जमीन थी , जिसको उन्होने बेच दिया है। मेरी माँ के हिस्से की कुछ जमीन बची है तथा श्रेणी तीन के अन्तर्गत मेरे बडे भाई राजेश के पास लगभग 10 बीघा जमीन है। जिसको किराये पर मेरे भाई राजेश द्वारा दे दिया जाता था। जिसके एवज मे लगभग 40 हजार रुपया सालाना मिल जाता था। उसमे से हम लोगो को कोई पैसा नही देता था न ही जमीन दे रहा था तथा कुछ पैतृक जमीन राजेश के नाम थी , जिसमे से कुछ बेच दिया है तथा कुछ शेष है। जिसके कारण मेरी मेरे बडे भाई राजेश से वाद विवाद रहता था। हमारा कोई कहना नही मानता था। मैने कई बार राजेश से कहा कि जमीन न बेचो परन्तु वह मान नही रहा था। जिसके कारण मैने अपने साले विनय के साथ मिलकर अपने भाई राजेश को मारने की योजना बनायी और कल दिनांक 23.11.2023 को मैनें अपने बडे भाई राजेश की हत्या कर ग्राम मुतिहासा मे बाबूराम के खेत मे मिट्टी से छिपा दिया था जिससे किसी को पता न चलें।

विवरण गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मानचन्द गौतम
2. उ0नि0 राजकुमार सिंह
3. हे0का0 317 विपिन कुमार
4. का0 2559 वैभव तोमर
5. का0 2138 सुनील कुमार